



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012025-260330
CG-DL-E-18012025-260330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2025/पौष 27, 1946

No. 318]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2025/PAUSHA 27, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2025

का.आ. 320(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 22 सितंबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना संख्याक का.आ 3926 (अ), तारीख 22 सितंबर, 2021, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्ररूप-I में, स्वच्छता जानकारी से संबंधित पैरा II में, उप-पैरा (viii) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ix) ऐसे मामले में जहां कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों में प्रोबायोटिक्स भी अंतर्विष्ट हैं, निम्नलिखित को अतिरिक्त रूप से प्रमाणित किया जाएगा;

(क) कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों में आयातक देश द्वारा अनुमोदित सक्रिय प्रोबायोटिक्स अंतर्विष्ट हैं, जो निम्नानुसार हैं:

कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पाद (पशुजन्य सामग्री सहित)	प्रोबायोटिक्स के रूप में उपयोग किए जा रहे बैक्टीरिया का नाम और उसका स्रोत	सांद्रता	समापन की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)

(ख) प्रोबायोटिक्स का परीक्षण किया गया है और वे अन्य वैकल्पिक (facultative) एरोबिक सूक्ष्म जीवों (रोगजनक सहित) और अन्य संदूषकों से मुक्त हैं;

(ग) (i) तैयार किए गए कुत्ते और बिल्ली के खाद्य उत्पादों का परीक्षण किया जाता है और प्रसंस्करण संयंत्र में भंडारण के दौरान या उसके बाद लिए गए प्रत्येक प्रसंस्कृत बैच से कम से कम पांच नमूनों के यादृच्छिक नमूनाकरण में वैकल्पिक (facultative) एरोबिक सूक्ष्म जीव नमूने में प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर 5×10^3 से कम होते हैं (प्रयुक्त प्रोबायोटिक्स की सांद्रता को छोड़कर); **या**

(ii) यदि सूक्ष्म जीवों की सांद्रता अधिक है, तो समतुल्य प्रभावकारिता वाली प्रक्रिया की जाएगी (भारतीय प्राधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से अनुमोदित किया जाना होगा);

(घ) प्रोबायोटिक्स का उपयोग दवा या औषधीय प्रयोजन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।"

[फा. सं. एल-110109(4)/4/2017-व्यापार (ई-3212)]

वर्षा जोशी, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 3926 (अ), तारीख 22 सितंबर, 2021 को प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry And Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2025

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying number S.O. 3926(E), dated the 22nd September, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd September, 2021, namely:—

In the said notification, in Form-I, in paragraph II relating to sanitary information, after sub-paragraph (viii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

“(ix) In case where the dog and cat food products also contain probiotics, the following shall be additionally certified;

(a) the dog and cat food products contain active probiotics approved by the importing country, as under, -

Dog and cat food products (containing animal origin material)	Name of bacteria being used as probiotics along with its source	Concentration	Expiry date
(1)	(2)	(3)	(4)

- (b) the probiotics are tested and are free from other facultative aerobic micro-organisms (including pathogenic) and other contaminants;
- (c) (i) the finished dog and cat food products is tested and the facultative aerobic micro-organisms are less than 5×10^3 per gram or per milliliter of sample (excluding the concentration of used probiotics) by a random sampling of at least five samples from each processed batch taken during or after storage at the processing plant; **or**
- (ii) in case the concentration of micro-organisms is higher, a process demonstrated to be of equivalent efficacy (to be approved by Indian authority in advance);
- (d) The probiotics are not intended to be used as drug or medicinal purpose.”.

[F. No. L-110109(4)/4/2017-Trade (E-3212)]

VARSHA JOSHI, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3926(E), dated the 22nd September, 2021.